रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2016/फाल्गुन 21, 1937
No. 90] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2016/ PHALGUNA 21, 1937

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2016

फा. सं एम (आई)/टी4एस/रीजीटी/1/2010.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2008 में,—

(क) अनुसूची 1क में, "मीटर सेट तथा सतह से उपर सर्विस लाइनों के लिए पाइपें और ट्यूबें" शीर्षक के तहत प्रारम्भिक शब्द "उपभोक्ता के मीटर या मीटर नियंत्रण..... से..... उपकरण स्वीकार्य होंगे" तक समाप्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"उपभोक्ता के मीटर या मीटर का नियंत्रण वाल्व तक सतह के उपर उपयुक्त सर्विस लाइनों के लिए जस्तेदार लोहे की पाइपों (जीआई) का प्रयोग किया जाना चाहिए। ताम्बे की ट्यूब का प्रयोग उपभोक्ता के मीटर के बाद ही किया जाएगा ताकि यह तीसरे पक्ष को उपलब्ध न हो। जीआई पाइप

और तांबे की ट्यूब इस मानक के अनुबंध-IV में दी गई आवश्यक्ताओं के अनुरुप होनी चाहिए। जहां तक संभव हो बिना जस्तेदार पाइपों का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए; तथापि यदि इनका इस्तेमाल किया जाता है तो उन पर रंग करके उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सतह से उपर पीई गैस पाइप का प्रयोग नहीं किया जाएगा सिवाय सतह से उठाने के लिए (राइजर) जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची 1घ में अनुमति दी गई है।";

(ख) अनुसूची 1ग में, "वाल्व और दबाव को कम करने वाले उपकरण" शीर्षक के तहत, प्रारम्भिक शब्द "ढलवां लोहा और/या से.....प्रयोग नही किया जाएगा" तक समाप्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"ढलवां लोहा और/लचीले लोहे से निर्मित वाल्व बॉडी, बोनेट, कवर और/या फ्लेंजेस घटकों (एएसटीएम ए 395 के अनुसार) का सीजीडी नेटवर्क में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तथापि, रेग्युलेटर्स के मामले में, बॉडी या घटक जैसा कि इन विनियमों के विशिष्ट कोड के तहत उल्लेखित अनुमत सामग्री से निर्मित हो सकते हैं।";

(ग) अनुसूची 1घ में, "गैस सेवा लाइनें" शीर्षक के उप-शीर्षक "सेवा लाइनों की स्थापना" के तहत प्रारम्भिक शब्द "सभी प्लास्टिक पाइप और फिटिंग्स.....से आरम्भ होकर रोशनदान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।"; समाप्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"सभी प्लास्टिक पाइप और फिटिंग्स जमीन के नीचे लगाई जानी चाहिए और वे खुली नहीं होनी चाहिए।

जमीन के नीचे दबाई गई सर्विस लाइनों को न्यूनतम 1.0 मीटर मिट्टी से ढका जाना चाहिए। जहां वास्तविक बाधाओं, अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायों जैसे कंक्रीट स्लैब के कारण 1.0 मीटर कवर कराना व्यावहारिक न हो, वहां उच्च दबाव वाले प्रतिरोधी प्लास्टिक शीट को सर्विस लाइन के ऊपर कम से कम 300 मि.मी. तक स्थापित किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में कवर की गहराई 600 मि.मी. से कम नहीं होनी चाहिए।

प्लास्टिक पाइप से जीआई पाइप तक ट्रांजिशन करने के लिए ट्रांजिशन फिटिंग्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। सतह से उपर निकलने वाली ट्रांजिशन फिटिंग्स के प्लास्टिक भाग को कंक्रीट से चाहरदीवारी करके सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।

यदि ट्रांजिशन फिटिंग्स के बाद कार्बन स्टील भाग जमीन से नीचे हो तो इसे न्यूनतम 400 माइक्रोन मोटे 2 पैक ऊंची बिल्ड एपोक्सी की परत चढ़ाकर क्षय से बचाया जाना चाहिए।

जमीन से ऊपर सर्विस पाइप क्षय-रोधी परत लगाकर उसे जस्तेदार लोहे या तांबे या कार्बन स्टील से बचाया जाना चाहिए।

जब कभी ऊपर उठी हुई सर्विस लाइन को बंद जगहों जैसे तहखाने में स्थापित किया जाता है, तो केवल वेल्ड की हुई खड़ी-पट्टियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। खड़ी-पट्टियों और दीवार के बीच का अंतर न्यूनतम 25 मि.मी. होना चाहिए तथा इसे प्रत्येक 2 मीटर पर सहारा दिया जाना चाहिए। बंद जगह में रोशनदान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

जमीन के उपर उठी हुई पीई पाइप लगाने की अनुमति है, बशर्ते कि निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हो, नामत: :—

(क) लगाए गए पीई पाइप इन विनियमों के अनुबंध 1 में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरुप हों;

(ख) जमीन के स्तर से 3 मीटर की उचाई तक जीआई पाइप का प्रयोग और उससे उपर उंचाई पर पीई पाइप का प्रयोग होगा।

IndiaCode

(ग) पीई पाइप को बाह्य प्रभाव की किसी प्रकार की क्षति से बचाव और धूप से पूर्णत: संरक्षित किया जाएगा।

(घ) पीई उपर उठाने वाली पाइप प्रणाली के लिए लगाई गई फिटिंग्स और ज्वाइंटिंग विधि जीआईएस / पीएल3:2006 मानक की आवश्यकताओं के अनुरुप होनी चाहिए।"।

उपमन्यु चटर्जी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./396 (188)]

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम संख्या सा.का.नि. 612 (अ) दिनांक 27 अगस्त 2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. सं. 750(अ) दिनांक 14-10-2009, फा. संख्या एम(I) टी4एस/सीजीडी/1/2010 दिनांक 16.12.2014 तथा फा. संख्या एल-मिस/VI/I/2007 दिनांक 01.01.2015 के तहत संशोधित किए गए।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2016

F. No. M(1)T4S/CGD/1/2010.— In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:—

(1) **Short title and commencement.**—These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008,—

(a) In Schedule 1A, under the heading "Pipes and tubing for above ground service lines up to meter set assembly", for the words beginning with "Galvanized Iron (GI) pipes shall be used in above...." and ending with ".... above ground gas pipes." , the following shall be substituted, namely:—

"Galvanized Iron (GI) pipes shall be used in above ground service lines up to consumer meter or meter control valve. The use of copper tubing shall only be after consumer meter such that this is not accessible to third party. GI pipes and copper tubing shall conform to the requirements given in Annexure-IV of this standard. Use of non-galvanized pipes should be restricted as far as possible; however, in case they are used they shall be properly protected and painted. PE pipe shall not be used for above ground gas pipes except for above ground risers as permitted in Schedule I D of these regulations.";

(b) In Schedule 1C, under the heading "Valves and Pressure Reducing Devices", for the words beginning with " Valves body, bonnet,...." and ending with ".... used in CGD networks." the following shall be substituted, namely:—

"Valves body, bonnet, cover and/or end flanges components made of cast iron and / ductile iron (as per ASTM A 395) shall not be used in CGD networks. However, in case of regulators, the body or components may be made of material as permitted under the specific code as mentioned in these regulations.";

(c) In Schedule 1D, under the heading "GAS SERVICE LINES", for the sub-heading "Installation of Service Lines", for the words beginning with "All plastic pipe and fittings" and ending with "....provided in confined space.", the following shall be substituted, namely:—

"All plastic pipe and fittings shall be laid underground and shall not be exposed.

The buried service lines shall be provided with a minimum cover of 1.0 m. Where it is impractical to provide 1.0 m cover due to physical constraints, additional protective measures such as concrete

slabs or high impact resistance plastic sheets shall be installed at least 300 mm above the service line. In no case the depth of cover shall be less than 600mm.

For transition from plastic pipe to GI pipe, transition fittings shall be used. Plastic part of transition fitting protruding above ground shall be protected by encasing it with concrete guard.

In case carbon steel section beyond transition fitting is below ground, it shall be protected against corrosion by minimum 400 micron thick 2 pack high build epoxy coating.

Above ground service piping shall be Galvanized Iron or copper or carbon steel protected by anti corrosive coating.

Wherever the service line riser is installed in confined spaces like basements, only welded risers shall be used. The gap between riser and wall shall be minimum 25 mm to and shall be supported at every 2 m. Ventilators shall be provided in confined space.

Usage of PE pipes to construct above-ground risers is permitted, subject to meeting the following requirements, namely:-

(a) PE pipe employed shall conform to the requirements specified at Annexure 1 of these regulations;

(b) The PE pipe shall be used starting from a height of 3 metres from the ground level, up to which GI pipe shall be used ;

(c) The PE pipe shall be entirely protected from exposure to sunlight and any damage due to external impact;

(d) The fittings employed and the jointing method for the PE riser system shall conform to the requirements of GIS / PL3: 2006 standard.".

UPAMANYU CHATTERJEE, Secy.
[ADVT-III/4/Exty./396(188)]

Foot Note : Principal regulations were notified vide No. G.S.R. 612(E), dated 27th August, 2008, amended vide G.S.R. 750(E) dated 14-10-2009, F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010 dated 16-12-2014 and F. No. L-MISC/VI/I/2007 dated 01.01.2015.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.